

17.05.2022:—आज यह पत्रावली पेशी में प्रार्थी ने निवेदन की मूल वादपत्र खारिज हो गया है। इस कारण उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। इस कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। अतः प्रार्थना-पत्र मूल वादपत्र खारिज होने के कारण मौजूदा सूरत में ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो ।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

